नाम — डॉ. मोती लाल शाकार

महाविद्यालय का नाम - दुर्गा महाविद्यालय

संकाय — कला।

पदनाम — सहायक प्राध्यापक

विषय — 'भाषाविज्ञान'

शीर्षक — 'भाषा की परिवर्तनशीलता'

भाषा की परिवर्तनशीलता

डॉ. मोती लाल शाकार
सहायक प्राध्यापक
भाषा विज्ञान
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

प्रस्तावना:-

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन है। परिवर्तन ही जीवन है, चेतना, विकास और उल्लास है। जहाँ परिवर्तन नहीं है, वहाँ जीवन भी नहीं है, मानव में जीवन है, चेतना हैं, अतः परिवर्तन भी स्वभाव सिद्ध है। मानव की भाषा मानव का एक अंग है, उसमें भी सृष्टि के नियमानुसार परिवर्तन, परिवर्धन, क्षरत्व और नित-नूतन रमणीयत्व है। आचार्य यास्क ने निरूक्त में आचार्य वार्ष्यायणि का मत उद्धृत किया है प्रत्येक भौतिक तत्व में षड्विध विकार होता है-उत्पत्ति, स्थिति विकास, वृद्ध, क्षय और विनाश।"[1] परिवर्तन के आधार पर ही इस सृष्टि के जगत् और संसार नाम पड़े हैं।

परिवर्तन संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रतिदिन दृष्टिगोचर होता है। फूल कली के रूप में आता है, खिलता है, मुरझाता है, नष्ट हो जाता है। बालक जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है नष्ट हो जाता हैं। इसी प्रकार भाषा भी उत्पन्न होती है, बढ़ती है और परिवर्तित होती जाती है जिस प्रकार 'मनुष्य' वासांसि जीर्णानि यथा विहाय के अनुसार पुराने वस्त्र के तुल्य पुराने भाषा भी परिवर्तन के इस क्रम में अपना पुराना चोला उतार कर नया चोला पहन लेती है जैसे - संस्कृतः पालि प्राकृत अपभ्रंश और वर्तमान आर्य भाषा हिंदी के रूप में अभिनय के लिए प्रस्तूत हुई है।"[2]

भाषा की उपमा नदी के प्रवाह से दी जाती है जिस प्रकार नदी अपने उद्‌गम स्थल से निकलकर निरंतर बहती जाती है। उसमें अनेक नाले, स्त्रोत, नदी और नद् मिलते जाते है, उसके स्वरूप में परिवर्तन और परिवर्तन होता जाता है, परंतु उसका नाम वही प्रचलित रहता है। जैसे- गंगा, गंगोत्री से प्रादुर्भूत होती है, असंख्य छोटे स्त्रोतों का पानी उसमें मिलता जाता है फिर भी वह गंगा के नाम से जाना जाता है।

विकास के कारण स्वयं भाषा में विद्‌यमान रहते हैं-

"भाषा के विकास अथवा परिवर्तन के कारण स्वयं भाषा में विद्‌यमान है। मनुष्य, भाषा समाज के संसर्ग में सीखता है। इस सांसरिक परिवेश में परिवर्तन के साथ ही भाषा में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। संसर्ग अथवा परिवेश की भिन्नता के अतिरिक्त शारीरिक गठन

और अभ्यास में अंतर के कारण भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारणों में भिन्नता के कारण भी भाषा में विकास हो जाता है।"[3]

स्थान काल और परिस्थिति भेद से भिन्नता-

स्थान भेद, काल भेद और परिस्थिति भेद से उसमें परिवर्तन या भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। भारतीय आर्यभाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली है। परंतु स्थान भेद से वे आज हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि विभिन्न रूपों में प्रचलित है। परिस्थिति की विभिन्नता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से होती है। प्रतिकूल पारिस्थितियों के कारण प्राचीन यज्ञ परंपरा नष्ट हो जाने से सैकड़ों यज्ञ संबंधी पारिभाषिक नाम और पात्र आदि के नाम नष्ट हो गए हैं।

"अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नासु शक्तिषु।"[4]

भाषा परिवर्तन के कारण-

भाषा परिवर्तन के कारणों के संबंध में भाषाओं में गहरा मतांतर हैं। फिर भी अधिसंख्य भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा में बदलाव के लिए मोटे तौर पर दो कारण मानें है- 1. आंतरिक कारण 2. वाह्य कारण

आंतरिक कारण-

1. प्रयत्न लाधव-

आटो येस्पर्सन ने प्रो. ह्विटनी का कथन उद्यत किया है कि मानव की प्रवृत्ति रही है कि वक्तव्य के लिए वाग्यंत्र सुकर होना चाहिए। इससे समय व श्रम की बचत् होती है।"[5] मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति भाषा प्रयोग में भी साथ लगी रहती है। कम से कम बोलकर पूर्ण अभिव्यक्ति की अकांक्षा ही प्रयत्न लाघव को जन्म देती है। भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में प्रयत्न लाघव को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। श्रम से बचने की इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप ही लोग शुक्ल दिवस को सुदी, बहुल दिवस को बदी, टेलीफोन को फोन, अहमदाबाद को अमदाबाद कहते हैं।

2. बलाघात -

किसी शब्द के उच्चारण में कभी-कभी ध्वनि पर अधिक तथा किसी ध्वनि पर कम बल दिया जाता है। उक्त प्रक्रिया को बलाघात कहते है। बलाघात से ध्वनियों के लुप्त हो जाने के

कारण शब्द रूप परिवर्तित हो जाते हैं यथा-सुवर्णकार से सोनार, चर्मकार से चमार, कुंभकार से कुम्हार, निम्ब से नीम, लोहकार से लुहार आदि।

भावातिरेक-

'भाषा परिवर्तन में भावातिरेक का भी योगदान रहता है। प्रेम, शोक, घृणा, क्रोध आदि भाषा कभी-कभी मनुष्य को अपने में इस कदर निमग्न कर डालते है कि व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की जुबान से उच्चारित शब्दों की फिसलन का घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है। आत्मविभोरी व्यक्ति विचित्र ढंग से शब्दों का उच्चारण करने लगता है, जिससे उसके मुख से उच्चारित ध्वनियाँ और शब्द परिवर्तित हो जाते है। कभी-कभी प्रेम और दुलार के कारण लोग अपने बच्चों के नामों को परिवर्तित कर देते हैं-'बीर बहादुर का बीरू, मनोरमा का मन्नू नरेन्द्र को नरेन्दश रूप में उच्चारित करता हैं।'

शारीरिक विभिन्नता-

वैयक्तिक विभिन्नता भी भाषा परिवर्तन में कुछ अंशों में सहायक होती है। भाषा मानव की अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जन में व्यक्ति अनेक भाषिक तत्वों को ग्रहण करता है तथा अनेक तत्व उससे छूट भी जाते है। उक्त ग्रहण तथा परित्याग का मूल कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता एवं उसकी निजी विशेषता है। डॉ. पी.डी. गुणे के अनुसार से-'भाषा एक उपलब्धि है उसे अर्जित करने में ही कुछ भाषिक तथ्य दूर हो जाते हैं और कुछ नए जुड़ जाते है, क्योंकि एक सफल उपलब्धि व्यक्ति की श्रवण एवं उच्चारण क्षमता तथा उसके वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है।"[6]

सादृश्य-

किसी शब्द के बहुप्रचलित प्रयोग के मूलाधार के संबंध में बिना सोचे-समझे उसके समान दूसरे शब्दों को रच देना। मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति से भी शब्दों के रूप बदल जाते हैं, जिससे भाषा में परिवर्तन उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ-सृष्टि के अनुकरण पर सृष्टा का सृष्टि, दृष्टि का दृष्टा, दपिचहत्तर का पिचासी के भ्रष्ट प्रयोग से भी भाषा में परिवर्तन हो रहा है।

वागिन्द्रिय की विभिन्नता-

प्रत्येक व्यक्ति की वागिन्द्रिय समान नहीं होती है। पुरूषों और स्त्रियों के उच्चारण अवयवों में यह अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। अतएव किसी की ध्वनि मोटी, किसी की पतली, किसी की सुरीली और किसी की बेसुरी होती है। "अग्निपुराण का कथन है कि निम्नलिखित वाग्यंत्र आदि के दोष के कारण स्पष्ट रूप से वर्णोच्चारण नहीं कर पाते है-विकृत

मुखवाले, लंबे ओष्ठवाले, अज्ञानग्रस्त, नाक से बोलने वाले, भावावेष के कारण गद्गद् ध्वनि वाले या रूद्ध कंठ और बद्धजिह्वा अर्थात जिनकी जीभ पूरी खुली हुई नहीं है।"[7]

न करालो न लम्बोष्ठों नाथक्तो नानुनासिकः।
गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वक्तुमर्हति।। अग्निपुराण।

बाह्य कारण-

जो भाषा को बाहर से प्रभावित करते है, उन्हें बाह्य कारण कहा जाता है, बाह्य कारण भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि हैं।

भौगोलिक कारण -

भौगोलिक पर्यावरण की भिन्नता भी भाषा परिवर्तन का प्रमुख कारण है, स्थान, वातावरण, जलवायु का सीधा असर मनुष्य के शरीर पर पड़ता ही है, वह भाषा को भी प्रभावित करता है। जिन देशों की जलवायु ऊष्ण होती है वहाँ के लोगों का वागयंत्र अत्यंत मुखर और स्पष्ट होता है जिससे वे सरलता से सभी ध्वनियों को उच्चरित कर लेते हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग किसी भी ध्वनि का उच्चारण अति सुगमता से कर लेते हैं वहीं शीतल जलवायु में निवास करने वाले अँग्रेज लोग तालव्य ध्वनियों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते वे 'तराजू' को टराजू, तेल को टेल, दिल को डिल कहते हैं। 'स' ध्वनि भी उनसे स्पष्ट उच्चरित नहीं हो पाती, जिससे वे इसका उच्चारण 'श' के रूप में करते हैं, यथा तुम किश राश्टे से जाओगे? पाश्चात्य विद्वान हाइनरिख मेयर बेन्फी और कालित्स ने जहाँ भौगोलिक कारणों से भाषा परिवर्तन मे विश्वास किया है वहीं येस्पर्सन ने इनकी धारणा का प्रबल खंडन किया है।''[8]

राजनीतिक कारण -

'राजनीति ने भी समय-समय पर अपने आक्रमणों तथा क्रांतिकारी विप्लवों द्वारा भाषाओं की चौहद्दी को पार कर उसमें अपने संकर शब्द बीज बोकर भाषा को परिवर्तित किया है। संसार भर की भाषाओं में इन कारणों से परिवर्तित हुए हैं।"[8] जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को पराजित कर वहाँ अपना शासन स्थापित करता है तो उस विजेता राष्ट्र की भाषा विजित राष्ट्र की भाषा को प्रभावित करती है। फल यह होता है कि विजित राष्ट्र की भाषा के शब्द-रूपों में बदलाव शुरू हो जाता है, किंतु यदि विजित राष्ट्र की भाषा को भी प्रभावित करती है। उदा. मुसलमानों के शासनकाल में यहाँ की राज्य भाषा फारसी थी। उसके प्रभाव से संयुक्त अक्षरों के उच्चारणों में अंतर आ गया, यथा-प्रभात की जगह 'परभात', प्रताप की जगह 'परताप', प्रसाद की जगह 'परसाद', कृष्ण की जगह 'किसन' रूप लिखे-पढ़े जाने लगे।

धार्मिक कारण-

धार्मिक प्रचार भी भाषा में फेर-बदल के लिए काफी जिम्मेदार होता है। जब किसी धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रचार के लिए अन्य राष्ट्रों में जाते हैं तो उनके धर्म के साथ उनकी धार्मिक शब्दावली भी उस राष्ट्र में चली जाती है तथा उस धर्म के अनुनायियों की भाषा को प्रभावित करती है। वैदिक धर्म के प्रचारकों ने यूनान में जब अपने धर्म का प्रचार किया तो वैदिक देवताओं के नाम वहाँ की भाषा में समाहित हो गए, समाहित हुए शब्दों का रूप विचित्र ढंग से बदल गया, जैसे-देव का थिओस, द्योसपिटर 'का जुपीटर' असुरमेधस् का 'अहुरमन्द' हो गया बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार से भारत में ही संस्कृत शब्द पालि में रूपांतरित हो गए जैसे-'कात्यायन' के स्थान पर 'कच्चायन', धर्म की जगह 'धम्म', भिक्षु के स्थान पर 'भिक्खु' रूप प्रचलित हो गए। इस्लाम तथा ईसाई मत के प्रचार से क्रमश: अरबी, फारसी, तुर्की तथा फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रवेश कर गए। अत: धार्मिक प्रचार-प्रसार भी भाषाई परिवर्तन को बहुत अंशों तक प्रभावित करता है।

समाजिक कारण-

"भाषा को समय-समय पर विभिन्न सामाजिक बदलाव की प्रतियोगिताओं से गुजरना होता है। अत: भाषा को समाज के अनुसार ही अपना रूप-रंग गुण धर्म बदलना पड़ता है। मध्ययुग में किए जाने वाले संबोधन आज कहाँ सुनने को मिलते हैं। न वे 'जहाँपनाह' बाकी है, न वे 'अन्नदाता' ही दिखाई देते हैं। आज के अध्यापक अपने शिष्यों से और कुलाधिपति अपने वंशजों से न 'दंडवत' सुन पाते है, न साष्टांग।"[9]

संसर्ग का बहुत असर होता है-'संसर्गजा: दोषगुणा भवन्ति'। भारतीय समाज जब मुस्लिम समाज के निकट आया तो भारतीय समाज पर मुस्लिम समाज तथा उसकी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। अँग्रेजी समाज ने भी भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला। यही कारण है कि बहुत से अँग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी भाषा की संपत्ति बन गए हैं।

साहित्यिक कारण-

साहित्य ने कभी-कभी भाषिक बदलाव उपस्थित किया है। हमारे देश में लगभग एक छोर से दूसरे छोर तक संस्कृत भाषा का साम्राज्य बहुत दिनों तक रहा है। संस्कृत भाषा के विपुल भंडार को देखकर हैरान रह जाना पड़ता है कि कलान्तर में भक्ति आंदोलन ने जन-सामान्य में संस्कृत भाषा के प्रति ऐसी अरूचि उत्पन्न की, जिसमें सबके साथ-साथ कवि और लेखक भी अपनी-अपनी लोक भाषाओं में साहित्य रचना करने लगे।

सांस्कृतिक कारण-

समाज के अभिष्ट विकास का दूसरा नाम संस्कृति है। इस संस्कृति अथवा अनुकूल विकास से भाषा प्रभावित होती है। सांस्कृतिक संस्थाएँ प्राचीन शब्दों को पुनः प्रचलित करने में सहायक होती है। आर्य समाज जैसी संस्थाओं के कारण संस्कृत के कितने ही अप्रचलित शब्द मेधा, मनीषा, सुधांसु पुनः प्रचलित हो गए हैं।।

भाषा के परिवर्तन में समर्थ व्यक्तियों का भी योगदान रहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत के जिन शब्दों को छंदोबंधन के कारण कुछ तोड़-मरोड़कर प्रयुक्त किया उनका वही रूप प्रचलित हो गया। किसी समाज की विशेष शांति और व्यवस्था अथवा अशांति और संघर्ष भी भाषा के विकास का कारण बनती है।

भाषा परिवर्तन की पाँच प्रमुख नियम-

भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक है यह उसका धर्म है। भाषिक परिवर्तन चाहे तीव्र गति से हो अथवा मंदगति से हो, लेकिन यह होता है अवश्य। इस दृष्टि से भाषा-परिवर्तन की पाँच प्रमुख नियम स्थापित होते हैं। उक्त नियम इस प्रकार है :-

ध्वनि परिवर्तन-

भाषा के मूल आधार ध्वनि चिह्न है ध्वनि चिह्नों की समष्टि ही भाषा है। भाषा में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका प्रथम सूत्रपात ध्वनि परिर्वतन से होता है। प्रयत्नलाघव, मिथ्यासादृश्य, अपूर्ण अनुकरण आदि कारणों से ध्वनियों में परिवर्तन होता है जैसे अनाज का नाज, अवगाहन का वगाहन, मीरजापुर का मिर्जापुर, मेघ का मेह, स्तन का थन आदि।

शब्द परिवर्तन-

अनेक ध्वनियों के समन्वय से शब्द बनता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन से भाषा में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार शब्दों में परिवर्तन से भाषा में परिवर्तन की दिशा का संकेत मिलता है। संस्कृत के सैकड़ों शब्द प्राकृत, अपभ्रंष में परिवर्तित होते हुए आज हिंदी में सर्वथा नए परिवर्तित रूप में प्राप्त होते हैं, यथा-अग्नि-आग, घृत-घी, ग्राम-गाँव चक्र-चाक हो गए हैं।

पद परिवर्तन -

जब तक कोई शब्द पद का रूप ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आचार्य पाणिनि ने पद की अति स्पष्ट व्याख्या करते हुए सुबन्त

और तिडन्त को पद कहा है-"सुप्तिडन्त पदम"। 'सुबन्त का अर्थ है कि विभक्ति सहित शब्द तथा तिडन्त का अर्थ है प्रत्यय, यथा रामः रावणं हन्ति (राम रावण को मारता है)। इस वाक्य में 'राम' में सु विभक्ति के योग से कर्ता पद बनाया गया है और अंत में 'हन्ति 'क्रिया में 'ति' क्रिया में 'ति' क्रिया मे चिह्नः (प्रत्यय) के योग से वर्तमान कालीन क्रिया पद बनाया गया है।"[10]

वाक्य परिवर्तन-

पदों के संयोग से वाक्य बनते हैं। संस्कृत में वाक्य रचना परिष्कृत एवं व्यवस्थित है, अतः किसी भी पद को आगे या पीछे कर देने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। अन्य भाषाओं में यह स्थिति नहीं है। उनमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का स्थान निर्धारित है। यथा रामः पुस्तकं पठति, पुस्तक रामः पठति इन वाक्यों का अर्थ एक ही है। हाथी शेर मारता है अथवा शेर हाथी मारता है। यही कारण है कि हिंदी वाक्य रचना में प्रथमतः कर्ता को फिर कर्म को और अंत में क्रिया को रखने का विधान है।

अर्थ परिवर्तन-

अर्थ परिवर्तन के द्वारा भी भाषा में परिवर्तन की दिशा का बोध होता है। प्रायः देखा जाता है कि जो शब्द मूलरूप में जिस अर्थ के बोधक थे, वे कालांतर में अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। कहीं पर अर्थ में विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ का मुख्य अर्थ बदल जाता है, कुशों को काटने की योग्यता, कुश-छेदन में चतुरता। अतः बाद में कुशल शब्द चतुर का पर्यायवाची हो गया।

तैल का अर्थ था तिल का सारभाग परंतु अर्थ विस्तार से यह सभी द्रवों के सार के लिए प्रयुक्त होने लगा है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल हो गया है। वेद में 'मृग' शब्द पशुमात्र का वाचक था वह बाद में केवल हिरन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह संकोच है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन से भी भाषा परिवर्तन होता है।

निष्कर्ष-

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उक्त कुछ और अन्य कारणों से भाषा-परिवर्तन साक्षात्- असाक्षात् जिस रूप में हो किन्तु देर-सबेर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा परिवर्तन के उक्त सभी कारण एक साथ सक्रिय ही हों। परिवर्तन की नकेल इन्हीं कारणों के हाथ में होती है अतः भाषा भी इनके अनुसार ही अपना वर्ण तथा कलेवर बदलती चली जाती है।

संदर्भ सूची:-

1. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.91
2. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.92
3. तिवारी, डॉ. पारसनाथ: भाषाविज्ञान हिंदी भाषा और लिपि, प्रकाशन, लखनऊ पृ.66
4. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव: भाषाविज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.93
5. otto Jesperson, language p 261
6. पांडेय, डॉ. कैलाशनाथ: भाषाविज्ञान का अनुशीलन, जय प्रकाशन गाजीपुर पृ.60
7. द्विवेदी, डॉ कपिलदेव: भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृ.97
8. Language its nature, Development and origin p.257
9. कौशिक, डॉ देवदत्त: भाषाविज्ञान पृ.38
10. पांडेय, डॉ. कैलाशनाथ: भाषाविज्ञान का अनुशीलन, जय प्रकाशन गाजीपुर पृ.55